न्यायालय अपर कलक्टर, नागौर

बइजलास – चम्पालाल जीनगर, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या 40/2024

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट
श्यामसिंह पुत्र लखासिंह जाति राजपूत निवासी दधवाडा तहसील मेडता जिला नागौर।		तहसीलदार मेडता जिला नागौर।

उपस्थिति :–

1. श्री महावीर सिंह राठौड अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री ओम प्रकाश पूनिया राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट की ओर से।

निर्णय

दिनांक: 24.01.2025

(1)–मामले के संक्षिप्त मे तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट ने यह अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत तहसीलदार, मेडता द्वारा धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण संख्या 97/2023 सरकार बनाम श्यामसिंह में निर्णय दिनांक 07.06.2024 के तहत मौजा दधवाडा की भूमि से बेदखली व शास्ति से असंतुष्ट होकर दिनांक 30.07.2024 को प्रस्तुत की गई है। अपीलान्ट की अपील दिनांक 06.08.2024 को मियाद के बिन्दु पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन सुनवाई हेतु तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट की ओर से श्री ओम प्रकाश पूनिया राजकीय वकील उपस्थित हुए। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड मंगवाया गया। अपीलांट द्वारा अपनी अपील के समर्थन में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली संख्या 97/23 सरकार बनाम श्यामसिंह की फोटोप्रति पेश की।

(2)–उभयपक्ष के वकुलाय की बहस सुनी गई। अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक द्वारा मियाद के बिंदु पर बताया गया कि ग्राम दधवाडा स्थित खसरा नम्बर 419 गे.मु. सडक पर गेर सायल का कोई अतिचार नहीं है, उक्त गे.मु. सडक की जमीन जितनी राजस्व नक्शा में नाप चोप में दर्शित है उतनी मौके पर खुली है, गे. मु. सडक की जमीन छोड कर बाद में आबादी पुराना खसरा नम्बर 244 हाल खसरा नम्बर 378 गेर सायल/अप्रार्थी की कब्जासुदा व खरीदसुदा जमीन है व अन्य वास्तविक स्थिति से तहसीलदार को अवगत करवा दिया था, तत्पश्चात तहसीलदार ने अपने स्तर पर कोई जांच नहीं करके पटवारी हल्का से ही जांच करवाने की औपचारिकता पूरी करके पटवारी हल्का की गलत रिपोर्ट के आधार पर अपीलांट को अतिक्रमी घोषित कर मौके से भौतिक रूप से बेदखल करने व लगान 0.12 का 50 गुणा 6 रूपये अर्थदण्ड से आरोपित किया जाकर बेदखली, वसूली व मांग कायमी हेतु पटवारी हल्का एवं तहसील राजस्व लेखाकार को सूचित करने का आदेश/निर्णय दिनांक 07.06.24 को अपीलांट को पूर्ण साक्ष्य सबूत का अवसर दिये बिना पारित कर दिया। जिसकी जानकारी अपीलांट को नहीं हो सकी व हाल ही में पटवारी ने अपीलांट के विरूद्व तहसीलदार कार्यालय में जाकर पता किया व नकल का आवेदन करने पर दिनांक 29.07.2024 को प्रमाणित प्रतियां मिलने पर सर्वप्रथम जानकारी हुई, जिससे उक्त निर्णय से व्यथित होकर यह अपील पेश की गई, जिससे अपील को अन्दर मयाद शुमार किये जाने बाबत् आवेदन पेश किया। न्याय हित मे देरी माफ कर अपील अंदर मियाद शुमार की जाना न्याय संगत है। जिसका राजकीय वकील द्वारा विरोध नही किया गया है। अतः मियाद के बिन्दु पर नरम रूख अपनाते हुए अपीलांट की अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है। वकील अपीलांट ने आगे अपनी अपील के तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया कि–

(2)(I)– अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय जैर अपील गलत, विधि विरूद्व व मौके की स्थिति के विपरीत पारित किया होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

(2)(II)– अधीनस्थ न्यायायलय के समक्ष अपीलांट ने जवाब पेश कर सारी स्पष्ट कर दी कि उसका कोई अतिक्रमण गे.मु. सडक की भूमि पर नहीं है, उक्त गे.मु. सडक की जमीन जितनी राजस्व नक्शा में नाप चोप में दर्शित है, उतनी मौके पर खुली है, गे.मु. सडक की जमीन छोड कर बाद में आबादी पुराना खसरा नम्बर 244 हाल खसरा नम्बर 378 में अपीलांट की कब्जासुद व खरीदसुदा जमीन है। इसके बावजुद तहसीलदार ने स्वयं के स्तर पर कोई जांच किये बिना व पटवारी हल्का की गलत रिपोर्ट के आधार पर दर्ज प्रकरण में पटवारी से ही पुनः जांच रिपोर्ट मंगवा कर अपीलांट को अतिक्रमी मान कर निर्णय जैर अपील पारित करने से भारी कानूनी त्रुटि की है जिससे निर्णय जैर अपील कतई विधि सम्मत नही होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

(2)(III)–अपीलांट की जमीन के संबंध में एक दीवानी दावा हनुमानसिंह ने सिविल न्यायालय मेडता में पेश कर रखा है, जो हनुमानसिंह बनाम ललिता कंवर प्रकरण संख्या 49/16 है जो माननीय अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश न्यायालय मेडता में विचाराधीन है, जिस प्रकरण में मौका कमिश्नर ने मौका भी देखा था,

24/1/25

अपर कलक्टर, नागौर

जिस कमीश्नर रिपोर्ट मे गे.मु. सडक व अप्रार्थी की जगीन के करीब 45 फुट की दूरी है, इस संबंध में भी कोई जांच किये बिना व सिविल न्यायालय में मामला विचाराधीन होने की जानकारी होने के बावजुद साक्ष्य सबूत लिये बिना व आनन फानन में निर्णय जैर अपील पारित किया है, जो अवैध स्थिर रखने योग्य नहीं है।

{2}(IV)–अपीलांट का यह भी निवेदन रहा है कि गे.मु. सडक खसरा नम्बर 419 के रिकॉर्डेड खातेदार सार्वजनिक निर्माण विभाग है, जिससे अगर सडक पर अतिक्रमण होता तो सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा कार्यवाही की जाती व सिविल न्यायालय में वाद प्रस्तुत करते जो नहीं किया गया है, ऐसे में पटवारी ने सरासर गलत रिपोर्ट गांव के समूह विशेष के लोगो के दबाव में आकर पेश कर उक्त कार्यवाही है तथा गांव की राजनेतिक द्वैषतावश अपीलांट से अदावत रखने वाले सबूह विशेष के लोगो ने गलत कार्यवाही करवाई है, जो तहसीलदार अपने स्तर पर जांच करते तो सारी स्थिति स्पष्ट हो जाती, क्योंकि अपीलांट की जायगा के आस पास अन्य कोई लोगो की जायगा, मकानात, बाडे वगैरा आये हुए है, उनके विरूद्व कोई कार्यवाही नहीं करके केवल अपीलांट के विरूद्व रिपोर्ट करना अपने आप में मिलीभगती व विधि विरूद्व कार्यवाही होना स्पष्ट था व है, ऐसी स्थिति में निर्णय जैर अपील अपास्त किये जाने योग्य है।

{2}(V)–अपीलांट के विरूद्व किसकी शिकायत पर पटवारी ने रिपोर्ट की, कैसे सडक पर अतिक्रमण पाया, किस प्रकार सडक बाधित हुई, इस संबंध में कोई तथ्य पत्रावली पर नहीं आये है, न ही अपीलांट के जवाब में उल्लेखित तथ्यो का कोई विवेचन व विश्लेषण किया गया है, अपीलांट के जवाब के तथ्यो को मानने या नहीं मानने का कोई कारण भी निर्णय में दर्शित नहीं कर, केवल सरसरी तौर पर बिना अर्जेन्सी के आनन फानन में विधि विरूद्व तरीके से निर्णय पारित किया गया होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

{2}(VI)–तहसील कार्यालय में सारी कार्यवाही मिलीभगती से व राजनेतिक दबाव से करवाई गयी है, क्योंकि पत्रावली की जो प्रमाणित प्रतियां प्राप्त की है, उनमें दो तरह के निर्णय की प्रतियां मिली है, जिसमें एक निर्णय में कोई तारीख व तहसीलदार के हस्ताक्षर नहीं है व दूसरी प्रति में तारीख हाथ से लिखी हुई व तहसीलदार के हस्ताक्षर किये हुए है। पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर पूर्व में ही मनमर्जी से अपीलांट को अतिक्रमी घोषित करने की मानसिकता बनाई हुई होने से निर्णय टंकण करवा रखे थे व बाद में तारीख दर्ज की गयी है, जो न्यायिक/विधिक प्रक्रिया का दुरूपयोग है और जब इस तरह की अनियमिता उजागर होती है तो ऐसे अवैध निर्णय को अपास्त किया जाना विधि सम्मत होने से भी निर्णय जैर अपील निरस्तनीय है।

{2}(VII)–पटवारी हल्का दधवाडा न तो कभी मौके पर जांच करने आया, न कोई नाप चोप किया व एकतरफा गलत रिपोर्ट बना कर अधीनस्थ न्यायालय में पेश कर दी व अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को न तो पटवारी हल्का से जिरह का अवसर दिया, न ही अन्य कोई साक्ष्य सबत पेश करने का उचित अवसर प्रदान किया, इतना ही नहीं आनन फानन में उक्त आदेश की आड में पटवारी हल्का अपीलांट को उसकी कब्जासुद स्वामित्व की जायगा से बेदखल कर बेजा नुकशान पहुंचाने की तैयारी में है, ऐसी स्थिति में अपीलांट के साथ घौर अन्याय हो रहा है, इस कारण कथित अवैध कार्यवाही को रूकवाना आवश्यक होने से भी उक्त अपील पेश की गई।

{3}–राजकीय अभिभाषक द्वारा बहस के दौरान बताया गया कि अपीलांट द्वारा मौजा दधवाडा में स्थित गै. मु. सडक पर अतिक्रमण किये जाने पर विधिवत प्रकरण दर्ज कर अपीलांट को नोटिस जारी किया गया। अपीलाधीन आदेश में अपीलांट को अतिक्रमी माना जाकर निर्णय जैर अपील पारित किया गया है, जो सही एवं उचित होने से यथावत कायम रखा जाना चाहिये।

{4}– उभयपक्ष के वकुलाय की बहस पर मनन किया गया। अपीलान्ट ने यह अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत तहसीलदार, मेडता द्वारा धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण संख्या 97/2023 सरकार बनाम श्यामसिंह में निर्णय दिनांक 07.06.2024 के तहत मौजा दधवाडा की भूमि से बेदखली व शास्ति से असंतुष्ट होकर अपील पेश की। आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व अपीलान्ट को विधिवत नोटिस दिया गया है। अपीलांट के अधिवक्ता का अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित होना अभिलेख से साबित भी है। पटवारी की मौका रिपोर्ट दिनांक 09.02.2024 से ज्ञात होता है कि अपीलांट ने मौजा दधवाडा के खसरा नम्बर 419 किस्म गै. मु. सडक पर अतिक्रमण किया। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि सम्मत होने से इसमें कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नही होता है।

{5}– उपरोक्त विवेचनात्मक विवेचन के आधार पर अपीलांट की अपील खारिज की जाती है। आदेश जैर अपील यथावत कायम रखा जाता है।

{6}– निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

24/11/25

(चम्पालाल जीनगर)
अपर कलक्टर,
नागौर

अपर कलक्टर, नागौर